संख्या-19/2019/1322/60-2-19-2/3(2)/17टीसी-ए

प्रेषक,

गया प्रसाद,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 23 अप्रैल, 2019

विषय : अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत आंगनबाड़ी सेवाएं योजना के लिए 0102-समन्वित बाल विकास योजना तथा 0104-जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-10/बा0वि0परि0/लेखा/2019-20, दिनांक 08 अप्रैल, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-49 के अधीन वित्तीय वर्ष 2019-20 में आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाले व्ययों को वहन करने हेतु संलग्नक में उल्लिखित योजनाओं में उपशीर्षकों के अन्तर्गत दिये गये मानक-मदवार विवरण के अनुसार आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये 224407.15 लाख के सापेक्ष प्रथम त्रैमास हेतु रूपये 55573.87 लाख (रूपये पाँच अरब पचपन करोड़ तिहत्तर लाख सत्तासी हजार मात्र) की धनराशि की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी। आहरित धनराशि को किसी भी दशा में बैंक में नहीं रखा जायेगा।

(2) स्वीकृति धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बन्धी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार व्यय के आडिटेड लेखों के सम्बन्ध में सदुपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार से नियमानुसार अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि समयबद्ध रूप से प्राप्त की जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि तक ही सीमित रहेगी।

(6) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अत: बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

(8) योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त भलीभांति सत्यापित बिलों के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि की सीमा में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाय।

(9) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं-0102-समन्वित बाल विकास योजना तथा 0104-जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत इकाईयों" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप-संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय,

(गया प्रसाद)
विशेष सचिव।

संख्या-19/2019/1322(1)/60-2-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
6. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या–19 / 2019 / 1322 / 60–2–19–2 / 3(2)17टीसी–ए दिनांक 23 अप्रैल, 2019 का अनुलग्नक

अनुदान संख्या : 49

ब्यौरेवार शीर्ष

राजस्व व्यय

2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02–समाज कल्याण

102–बाल कल्याण

01–केन्द्र प्रायोजित योजनायें

0102–समन्वित बाल विकास योजना (वेतन व भत्ते– के.25 / रा.75, अन्य के.60 / रा.40 – के.+रा.) (रू0 लाख में)

मानक मद	आय–व्ययक अनुमान 2019–20	स्वीकृत धनराशि
01–वेतन (के.25 / रा.75,)	34241.56	8560.39
03–महंगाई भत्ता (के.25 / रा.75,)	5136.23	1284.06
06–अन्य भत्ता (के.25 / रा.75,)	5.00	1.25
07–मानदेय (के.60 / रा.40,)	148819.44	37204.86
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद (के.60 / रा.40,)	2175.90	543.98
17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व (के.60 / रा.40,)	7606.08	1901.52
29–अनुरक्षण (के.60 / रा.40,)	150.00	0.00
42–अन्य व्यय (के.60 / रा.40,)	18376.43	4594.11
43–सामग्री एवं सम्पूर्ति (के.60 / रा.40,)	1.00	0.00
51–वर्दी व्यय (के.60 / रा.40,)	2834.66	708.67
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय) (के.25 / रा.75,)	1899.42	0.00
55–मकान किराया भत्ता (के.25 / रा.75,)	1439.10	359.78
56–नगर प्रतिकर भत्ता (के.25 / रा.75,)	187.31	46.83
योग :–	**222872.13**	**55205.45**

0104–जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था (वेतन व भत्ते– के.25 / रा.75, अन्य के.60 / रा.40 – के.+रा.)

01–वेतन (के.25 / रा.75,)	924.00	231.00
03–महंगाई भत्ता (के.25 / रा.75,)	138.60	34.65
06–अन्य भत्ता (के.25 / रा.75,)	3.00	0.75
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद (के.60 / रा.40,)	164.70	41.18
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय) (के.25 / रा.75,)	61.36	0.00
55–मकान किराया भत्ता (के.25 / रा.75,)	188.28	47.07
56–नगर प्रतिकर भत्ता (के.25 / रा.75,)	55.08	13.77
योग :–	**1535.02**	**368.42**
महायोग :–	**224407.15**	**55573.87**

(रू0 पांच अरब पचपन करोड़ तिहत्तर लाख सत्तासी हजार मात्र)

(शिवराज कुमार यादव)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।